

संख्या- 2218 /15-7-05 -16112 1/ 2005

प्रेषण,

श्री प्रकाश गुप्त,
प्रिन्सिपल,
रानी लक्ष्मी बाई स्मृति विद्यालय ।

सेवा में,

श्री प्रिन्सिपल,
रानी लक्ष्मी बाई स्मृति विद्यालय,
गंगा विहार, लखनऊ ।

विद्या 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 17 07 2005

विषय:-

राजीव गांधी ज्योतिषाचार्य स्मृति विद्यालय लखनऊ की सीटिंग/संरचना
का निर्माण के संबंध में आपराधिक प्रमाण पत्र दिया जाना ।

प्रति,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधान के **सीटिंग/संरचना** संबंधित से संबंधित हस्त अनुप्राप्ति प्रमाण पत्र दिखे जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपराधिक नहीं है:-

- 111 विधान के पंजीकृत सौदागरी के समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विधान के प्रबंध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विधान में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मध्यापी वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र.शत शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विधानों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधान आधुनिक शिक्षा परिषद अथवा वास्तविक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त है तथा विधान की संरचना केन्द्रीय आधुनिक शिक्षा परिषद/की शिक्षा फंड दि. इन्डियन स्कूल स्टाफिंग इकाई निर्देशन से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संरचना प्राप्त होने की तिथि से 30प्र.शत शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सहायता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

Jai Pal Singh

(JAI PAL SINGH)
MANAGER

RANI LAXMI BAI MEMORIAL SCHOOL
CHINHUT, LUCKNOW

Papia

(PAPIA GUPTA)

Principal

Rani Laxmi Bai Memorial School
Ganga Vihar Colony, Chinhat
Lucknow

- 158 संस्था/वैयक्तिक एवं शिक्षणितर कार्यारियों को राजकीय तदायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यारियों को अनुमन्य कलमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनाने तथा अन्य भत्तों नहों दिशे जायेगे ।
- 168 कार्यारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेगी और उन्हें तदायता प्राप्त अशासीय उच्चतर माध्यायिक विधानयों से कार्यारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 178 राज्य सरकार द्वारा सशम-तम पर जा को आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 188 विधानय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/परिचयों में रका जायेगा ।
- 198 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुशोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिचर्न नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के गिर अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की रूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भद्रीय,

मि. प्रकाश गुप्त
मुख्य अधिकारी

सूचसंख्या एवं दिनांक तैय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- शिक्षा विधानय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विधानय 3050, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, लखनऊ ।
- 6- सचिव, लखनऊ ।

अहम

मि. प्रकाश गुप्त
मुख्य अधिकारी

Jai Pal Singh

(JAI PAL SINGH)
MANAGER

RANI LAXMI BAI MEMORIAL SCHOOL
CHINHUT, LUCKNOW

Papia

(PAPIA GUPTA)

Principal

Rani Laxmi Bai Memorial School
Ganga Vihar Colony, Chinhat
Lucknow